# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28/2020 नामान्तरकरण अपील

1. किशनप्यारी पुत्री जवाहरया निवासी ग्राम नांदरी तहसील सिकराय पत्नि रामकिशन जाति मीना हाल निवासी बसेडी तहसील सिकराय।
2. परमबाई पुत्री जवाहरया जाति मीना निवासी नांदरी तहसील सिकराय पत्नि मदनलाल हाल निवासी नांगल झामरवाडा, कोटवालो का बास तहसील बसवा जिला दौसा।
3. रामबाई पुत्री जवाहरया जाति मीना निवासी ग्राम नांदरी तहसील सिकराय पत्नि विश्राम हाल निवासी नांगल झामरवाडा कोटवालो का बास तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुमन पुत्री फूलसिंह
2. सुनीता पुत्री फूलसिंह
   जाति मीना निवासी ग्राम नांदरी तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. सन्तरा पुत्री जवाहरया जाति मीना निवासी ग्राम नांदरी पत्नि भरतलाल हाल निवासी ग्राम गिरधारीपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय जिला दौसा निर्णय दिनांक 23.06.2000 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 476 दिनांक 23.06.2000 वाके ग्राम नांदरी तहसील सिकराय जिला दौसा।

उपस्थिति :– 1 :श्री राकेश जैमन अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित ।
2: श्री रिद्धी चन्द शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 उपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 20.09.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण से सम्बन्धित विवादित भूमि खसरा कुल रकबा 35 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम नांदरी तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। जिसका मूल खातेदार जवाहरया पुत्र फैली रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहा है। उक्त 35 बीघा 6 बिस्वा भूमि में जवाहरया पुत्र फैली 1/3 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार था। उक्त भूमि के मूल खातेदार जवाहरया पुत्र फैली अपीलान्ट्स के पिता है। मूल खातेदार जवाहरया पुत्र फैली का भी स्वर्गवास हो चुका है। मूल खातेदार जवाहरया के पांच वारिस एक पुत्र फूलसिंह व 4 पुत्रियां किशनप्यारी, परमबाई, रामबाई व सन्तरा है। मूल खातेदार जवाहरया पुत्र फैली की फौतगी के बाद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने स्व. जवाहरया की विरासत का अपीलाधीन नामांतरकरण अपीलाट्स को बगैर सुने एवं सम्पूर्ण वारिसान की जांच किये बिना व बिना सहमति के केवल अकेले फूलसिंह के हक में अवैधानिक तरीके से खोला है। जिससे व्यथित होकर नामान्तरकरण संख्या 476 दिनांक 23.06.2000 के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:26:23 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामान्तरकरण अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं अधिवक्तागण रेस्पोडेन्ट्स की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलांट्स मूल खातेदार स्व0 जवाहर्या पुत्र फैली की खास पुत्रियां है एवं कानूनन वारिस हैं। स्व. जवाहर्या की विरासत का नामान्तरकरण कानूनन पांचों वारिसों किशनप्यारी, परमबाई, रामबाई, सन्तरा व फूलसिंह के नाम खोला जाना चाहिये था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने अवैधानिक रूप से अकेले फूलसिंह के नाम नामान्तरकरण खोल दिया। फूलसिंह की मृत्यु हो गई है एवं उसकी बेटियों के नाम नामान्तरकरण खुलवाकर उसकी बेटियां उक्त भूमि को बेचना चाहती है। उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट्स की पैतृक भूमि है। अपीलान्ट्स उक्त भूमि पर काबिज है। उक्त नामन्तरकरण इकतरफा में अपीलान्ट्स को बिना सुने, बिना सहमति के, बिना नोटिस दिये अवैधानिक रूप से खोला गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को तब हुई जब दिनांक 8.12.2020 को रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 ने अपीलान्ट्स को ऐलानिया यह कहा कि तुम्हारे हक व हिस्से व कब्जेकाश्त की उक्त विवादित भूमि को हमने व हमारे पिता फूलसिंह ने अपने नाम अर्थात फूलसिंह के नाम दर्ज करवा लिया है, अब हम इस भूमि को अन्यत्र रहन बय दान हस्तान्तरण करेंगे। जानकारी होने पर अपीलान्ट्स द्वारा अपील की गई है। विवादित भूमि में अपीलान्ट्स का हित निहित होने से अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 476 दिनांक 23.6.2000 वाके ग्राम नांदरी तहसील सिकराय को निरस्त फरमाकर मूल खातेदार स्व0 जवाहर्या पुत्र फैली के पांचों वारिसान के हक में नामान्तरकरण करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान करने की कृपा करें। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2008 पेज 67 से 72 पेश किया गया।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत भूमि के मूल खातेदार जवाहर्या की मृत्यु वर्ष 2000 में हुई है। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स अनुसूचित जनजाति श्रेणी मीणा जाति के सदस्य हैं। मूल खातेदार की मृत्यु होने पर विरासत का प्रश्नगत नामान्तरकरण दिनांक 23.6.2000 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया है जो नियमानुसार खोला गया है। अपीलान्ट्स द्वारा फूलसिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त नामांतरकरण दिनांक 23.6.2000 के विरूद्ध अपील पेश की गई है। बीस वर्ष पश्चात अपील किये जाने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। अपीलांट्स द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार नियम के आधार पर अपील पेश की गई है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार नियम मीणा जाति पर लागू नहीं होते हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम तभी लागु होंगे जब नोटिफिकेशन जारी हो। मीणा जाति में मृतक खातेदार के वारिस पुत्र होने की स्थिति में पुत्रियों का विरासत की भूमि में अधिकार नहीं होता है। मृतक खातेदार के वारिस पुत्र नहीं होने की स्थिति में ही विरासत की भूमि पर पुत्रियों का अधिकार होता है। विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति प्रदर्शित होती है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 द्वारा न्यायिक दृष्टांत **DNJ2016(Rev) page 28, RRD 1981 Page 361, RRD 1989 Page 284, RRD 1998 Page 456** पेश कर निवेदन किया गया कि अपीलान्ट्स द्वारा फूलसिंह की मृत्यु के बाद व नामान्तरकरण के विरूद्ध इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात् अपील पेश कर केन केन प्रकारेण रेस्पोडेन्ट्स को हैरान परेशान कर अनुचित लाभ लेने का प्रयास मात्र है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:26:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. : 28/2020 नामान्तरकरण अपील

राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामांतरकरण दिनांक 23.6.2000 को तहसीलदार सिकराय द्वारा तत्कालीन प्रभावी नियमों के आधार पर खोला गया है जिसकी अपील 20 वर्ष पश्चात किये जाने का औचित्य नहीं है। अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी ससम्मान अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के खातेदार जवाहरया की विरासत का नामान्तरकरण कानूनन उसके पांचो वारिसों किशनप्यारी, परमबाई, रामबाई, सन्तरा व फूलसिंह के नाम खोला जाना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के बिना सुने, बिना सहमति के बिना नोटिस दिये अवैधानिक रूप से खोला जाना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 476 दिनांक 23.06.2000 वाके ग्राम नांदरी तहसील सिकराय निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण से सम्बन्धित भूमि के खातेदार जवाहरया की फौतगी के पश्चात् उसके विधिक वारिसान की जांच कर एवं अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

( सुमित्रा पारीक )
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुमित्रा पारीक )
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:26:23 IST
Reason: SelfAttested